सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122022-241207 CG-DL-E-19122022-241207 (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

(4)

"स्तर-14"

(रु. 144200-218200)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

(11)

"प्रतिनियुक्ति-

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 13 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो: या
 - (iii) जिन्होंने वेतन स्तर 13 क या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में प्रशासन, नीति, मानव संसाधन विकास, सतर्कता, सुरक्षा तथा विधिक मामलों के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव रखते हों।
- टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि होगी।
- टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ग) निदेशक (तकनीकी) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने-
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात-

(4)

"स्तर -13"

(रु. 123100-215900)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्-

(11)

"प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 12 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में सिविल कार्य या समतुल्य, योजना, निष्पादन, कार्यान्वयन पर कार्य करने का और सन्निर्माण क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करने का तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे ये उधारदाता संगठन के अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (घ) निदेशक पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने-
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्-

(4)

"स्तर -13"

(रु. 123100-215900)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्-

(11)

"प्रतिनियुक्ति"

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 12 या समतुल्य के वेतन स्तर में नियमित आधार पर उस नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में व्यापार और वाणिज्य, नीति, सुरक्षा, योजना तथा विकास प्रशासन, वित्त तथा विधिक मामलों के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (इ.) उप-सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने-
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्-

(4)

"स्तर -12"

(रु. 78800-209200)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थातु-

(11)

"प्रतिनियुक्ति"

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 11 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो: और
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में व्यापार और वाणिज्य, नीति, योजना तथा विकास प्रशासन, वित्त तथा विधिक मामलों के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (च) अवर सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने-
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्-

(4)

"स्तर -11"

(रु. 67700-208700)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्-

(11)

"प्रतिनियुक्ति"

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 10 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
 - (iii) जिन्होंने वेतन स्तर 8 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में नीति, योजना और विकास, प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त, सतर्कता, न्यायालय के मामलों, संचार संबंधित मामलों के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (छ) कार्यकारी इंजीनियर के पद से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने-
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्-

"स्तर-11"

(रु. 67700-208700)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्-

(11)

"प्रतिनियुक्ति"

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 10 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सहायक कार्यकारी इंजीनियर के रूप में चार वर्ष नियमित सेवा की हो; या
 - (iii) जिन्होंने वेतन स्तर 7 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सहायक इंजीनियर या समतुल्य पद के रूप में सात वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में सिविल या इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में कार्य करने का और सन्निर्माण कार्यकलापों की मॉनिटरिंग करने का चार वर्ष का अनुभव रखते हों।
- टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ज) प्रबंधक के पद से संबंधित क्रम संख्या 7 के सामने-
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्, -

(4)

"स्तर-11"

(v. 67700-208700)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्-

(11)

"प्रतिनियुक्ति"

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 10 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो;
 - (iii) जिन्होंने वेतन स्तर 8 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो: और

(ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में प्रबंधन, योजना और विकास, प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त, सतर्कता, न्यायालय के मामलों और संचार संबंधित मामलों के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखते हों।

वांछनीय-

अधिमानतः प्रबंधन में मास्टर डिग्री धारक

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अविध है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (झ) अनुभाग अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 8 के सामने, -
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्-

(4)

"स्तर- 7"

(v. 44900-142400)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्-

(11)

"प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)"

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 6 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो: और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में नीति, योजना और विकास, प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त, सतर्कता, न्यायालय तथा संचार संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छ: मास की अविध के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

- (ञ) सहायक इंजीनियर (सिविल और इलैक्ट्रिकल) के पद से संबंधित क्रम संख्या 9 के सामने, -
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

"स्तर-7"

(v. 44900-142400)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

(11)

"प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)"

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने लोक निर्माण विभाग या समतुल्य में वेतन स्तर 6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में सिविल इंजीनियरी या इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में कार्य करने तथा सन्निर्माण कार्यकलापों को मॉनिटरिंग करने का तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत)" की अविध है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अविध है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छ: मास की अविध के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

- (ट) निजी सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने-
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्-

(4)

"स्तर -<mark>7</mark>"

(v. 44900-142400)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्-

"प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)"

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 6 अथवा समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो: और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में निजी सचिव के रूप में पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत)" की अविध है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अविध है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छ: मास की अविध के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

- (ठ) कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और इलैक्ट्रिकल) के पद से संबंधित क्रम संख्या 11 के सामने-
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

(4)

"स्तर -6"

(रु. 35400-112400)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात-

(11)

"प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने लोक निर्माण विभाग या समतुल्य में वेतन स्तर 5 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो: और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में सिविल इंजीनियरी या इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी) में कार्य करने और सन्निर्माण कार्यकलापों की मॉनिटरिंग करने का तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अविध है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छ: मास की अविध के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

- (ड) सहायक पद से संबंधित क्रम संख्या 12 के सामने-
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

(4)

"स्तर-6"

(रु. 35400-112400)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

(11)

"प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)"

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 5 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त में तीन वर्ष कार्य करने अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अविध है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अविध है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छ: मास की अविध के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

- (ढ) वैयक्तिक सहायक पद से संबंधित क्रम संख्या 13 के सामने-
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

"स्तर-6"

(হ. 35400-112400)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्, -

(11)

"प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)"

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 5 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की हो:
 - (iii) जिन्होंने वेतन स्तर 4 या समतुल्य वेतन स्तर में आशुलिपिक श्रेणी घ या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में सिचवालय कार्यप्रणाली, कार्यालय प्रबंधन, प्रभावी संप्रेषण कौशल, लोकव्यवहार तथा संबंधित मामलों में पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव रखते हो।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अविध है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अविध है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छ: मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

- (ण) वरिष्ठ लेखाकार पद से संबंधित क्रम संख्या 14 के सामने-
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्, -

(4)

"स्तर-6"

(रु. 35400-112400)

(i) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्, -

"प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)"

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 5 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की हो; और
 - (iii) जिन्होंने वेतन स्तर 4 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में सामान्य वित्तीय नियमों तथा विनियमों, परियोजनाओं, लेखा परीक्षा और बजट कार्य में पांच वर्ष का अनुभव रखते हैं।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छ: मास की अविध के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

- (त) लेखाकार पद से संबंधित क्रम संख्या 15 के सामने-
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

(4)

"स्तर-5"

(रु. 29200-92300)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात-

(11)

"प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)"

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 4 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो: और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में लेखा या वित्त, परियोजनाओं में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत)" की अविधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अविधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छ: मास की अविध के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

- (थ) आशुलिपिक श्रेणी-घ के पद से संबंधित क्रम संख्या 16 के सामने -
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

(4)

"स्तर- 4"

(रु. 25500-81100)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

(11)

"प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)"

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 3 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में वैयक्तिक सहायक के रूप में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छ: मास की अविध के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

- (द) रोकड़िया के पद से संबंधित क्रम संख्या 17 के सामने -
- (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

"स्तर-2"

(रु. 19900-63200)

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

(11)

"प्रतिनियक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)"

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 1 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में लेखाओं या वित्त परियोजनाओं में कार्य करने अथवा नकदी संचालन का तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छ: मास की अविध के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

टिप्पण: मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4, दिनांक 3 मार्च, 2016 में अधिसूचना संख्या-13/12/2012–एलपीएआई द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात् इसे इस अधिसूचना संख्या ई-14011/1/2020-एलपीएआई तारीख 23 दिसम्बर, 2020 द्वारा संशोधित किया गया और इसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4, दिनांक 23 दिसंबर, 2020 में प्रकाशित किया गया।

> आदित्य मिश्रा , अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./4**73**/2022-23]

LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

F. No. E-14011/1/2020/LPAI.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 35 read with section 10 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Land Ports Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Land Ports Authority of India (Officers and Other Employees) Recruitment Regulations, 2016, namely:-

- **1. Short title and commencement.** (1) These regulations may be called the Land Ports Authority of India (Officers and Other Employees) Recruitment (Amendment) Regulations, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Land Ports Authority of India (Officers and Other Employees) Recruitment Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, for the words "pay band and grade pay or pay scale", wherever they occur, the words "pay level in pay matrix" shall be substituted.
- **3.** In the Schedule to the said regulations,—
- (a) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—"Pay level in Pay Matrix";
- (b) against Sl. No. 1 relating to the post of Secretary,—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

"Level-14

(Rs. 144200-218200)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(11)

"Deputation—

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 13 or equivalent; or
- (iii) with two years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 13A or equivalent; and
- (b) possessing two years' experience in the field of administration, policy, human resource development, vigilance, security and legal matters in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
- **Note 1.—** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years.
- **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.";
- (c) against Sl. No. 2 relating to the post of Director (Technical),—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-13

(Rs. 123100-215900)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

"Deputation-

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.—

- (a) (i) holding analogous post or equivalent on regular basis in parent cadre or department; or
 - (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 12 or equivalent; and
- (b) possessing three years' experience in civil work or equivalent, planning, execution, implementation and monitoring of construction activities in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
- **Note 1.—** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
- **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.";
- (d) against Sl. No. 3 relating to the post of Director,—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-13

(Rs. 123100-215900)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(11)

"Deputation—

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 12 or equivalent; and
- (b) possessing three years' experience in the field of trade and commerce, policy, security, planning and development, administration, finance and legal matters in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
- **Note 1.—** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
- **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.";
- (e) against Sl. No. 4 relating to the post of Deputy Secretary,—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

"Level-12

(Rs.78800-209200)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(11)

"Deputation—

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 11 or equivalent; and
- (b) possessing three years' experience in the field of trade and commerce, policy, planning and development, administration, finance and legal matters in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
- **Note 1.—** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
- **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.";
- (f) against Sl. No. 5 relating to the post of Under Secretary,—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-11

(Rs.67700-208700)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(11)

"Deputation-

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 10 or equivalent; and
- (iii) with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 8 or equivalent; and
- (b) possessing five years' experience in the fields of policy, planning and development, administration, human resource development, finance, vigilance, court cases, communication related matters in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
- **Note 1.—** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.

Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.";

- (g) against Sl. No. 6 relating to the post of Executive Engineer,—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-11

(Rs.67700-208700)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(11)

"Deputation—

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with four years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis as Assistant Executive Engineer or equivalent in pay level 10 or equivalent; or
- (iii) with seven years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis as Assistant Engineer or equivalent in pay level 7 or equivalent; and
- (b) possessing five years' experience of working on civil or electrical engineering and monitoring of construction activities in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
- **Note 1.—** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
- **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.";
- (h) against Sl. No. 7 relating to the post of Manager,—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-11

(Rs.67700-208700)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(11)

"Deputation-

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 10 or equivalent;
- (iii) with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 8 or equivalent; and

(b) possessing five years' experience in the fields of Management, planning and development, administration, human resource development, finance, vigilance, court cases and communication related matters in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.

Desirable—

Preferably holding of Master Degree in Management.

Note 1.— Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.

Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.";

- (i) against Sl. No. 8 relating to the post of Section Officer,—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-7

(Rs.44900-142400)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(11)

"Deputation (including short term contract)—

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 6 or equivalent; and
- (b) possessing three years' experience in the fields of policy, planning and development, administration, human resource development, finance, vigilance, court cases and communication related matters in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
- **Note 1.—** Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.

Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";

- (j) against Sl. No. 9 relating to the post of Assistant Engineer (Civil and Electrical),—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-7

(Rs.44900-142400)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

"Deputation (including short term contract)—

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 6 in the Public Works Department or equivalent; and
- (b) possessing three years' experience in civil engineering or electrical engineering and monitoring of construction activities in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
- **Note 1.** Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
- **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";

- (k) against Sl. No. 10 relating to the post of Private Secretary,—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-7

(Rs.44900-142400)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(11)

"Deputation (including short term contract)—

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 6 or equivalent; and
- (b) possessing five years' experience of working as Private Secretary in Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
- **Note 1.—** Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
- **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";

- (l) against Sl. No.11 relating to the post of Junior Engineer (Civil and Electrical),—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-6

(Rs.35400-112400)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(11)

"Deputation (including short term contract)—

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 5 in the Public Works Department or equivalent; and
- (b) possessing three years' experience of working in civil engineering or electrical engineering and monitoring of construction activities in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.

Note 1.— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.

Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";

- (m) against Sl. No. 12 relating to the post of Assistant,—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-6

(Rs.35400-112400)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(11)

"Deputation (including short term contract)—

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body —

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

- (ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 5 or equivalent; and
- (b) possessing three years' experience in administration, human resource development, finance in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
- **Note 1.—** Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.

Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";

- (n) against Sl. No. 13 relating to the post of Personal Assistant,—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-6

(Rs.35400-112400)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(11)

"Deputation (including short term contract)—

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body —

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 5 or equivalent;
- (iii) with ten years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis as Steno 'D' or equivalent in pay level 4 or equivalent; and
- (b) possessing five years' experience in secretarial practices, office management, effective communication skill, public dealing and related matters in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
- Note 1.— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
- **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";

(o) against Sl. No. 14 relating to the post of Senior Accountant,—

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-6

(Rs.35400-112400)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(11)

"Deputation (including short term contract)—

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 5 or equivalent;
- (iii) with ten years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 4 or equivalent; and
- (b) possessing five years' experience in accounts, knowledge of general financial rules and regulations, projects, audit and budget work in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
- Note 1.— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
- **Note 2.—** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";

- (p) against Sl. No. 15 relating to the post of Accountant,—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-5

(Rs.29200-92300)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(11)

"Deputation (including short term contract)—

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years, regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 4 or equivalent; and

(b) possessing three years' experience of working in accounts or finance, projects in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.

Note 1.— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.

Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";

- (q) against Sl. No. 16 relating to the post of Stenographer Grade D,—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-4

(Rs.25500-81100)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,-

(11)

"Deputation (including short term contract)—

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay level 3 or equivalent; and
- (b) possessing three years' experience of working as Personal Assistant in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.

Note 1.— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.

Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";

- (r) against Sl. No. 17 relating to the post of Cashier,—
- (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,—

(4)

"Level-2

(Rs.19900-63200)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely,-

"Deputation (including short term contract)—

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body —

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay level 1 or equivalent; and
- (b) possessing three years' experience of working in accounts or finance projects or handling of cash in Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.

Note 1.— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.

Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, dated 3rd March, 2016, vide notification number 13/12/2012-LPAI and subsequently amended vide notification number E-14011/1/2020-LPAI, dated 23rd December, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, dated 23rd December, 2020.

ADITYA MISHRA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./473/2022-23]